न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी),आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री अशोक कुमार रावल पुत्र मनोहरलाल जी, जाति ब्राहम्ण, निवासी अचलगढ़, आबूपर्वत, तहसील देलदर, जिला सिरोही। (प्रार्थी अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह जैन)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा125,136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना संख्या 5/2025

दिनांक17.10.2025

आदेश

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा125, 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा ओरिया, आबूपर्वत तहसील देलदर में खसरा नंबर 1037 क्षेत्रफल 01 बिस्वा स्थित है। यह कि संवत 2072–75 की जमाबंदी में प्रार्थी के नाम खसरा नंबर 1037 की 01 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों की गलती से खसरा नंबर 1037 में प्रार्थी का 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/4 हिस्सा व प्रार्थी का नाम गलत अंकित कर दिया गया है। यह कि प्रार्थी राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा राजस्व जमाबंदी में गलती से की गई गलत एन्ट्री को सही करवाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती हेतु प्रस्तुत है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये। स्टेट ने अपने जवाब में अंकन है कि ग्राम ओरिया में खसरा नंबर 1037 रकबा 0.0126 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें अशोक कुमार पुत्र मनोहरलाल हि. 1/4, जाति राजपूत, केसरीबाई पत्नि भगा हि. 1/6, जाति राजपूत, दलपतसिंह पुत्र वनसिंह हि. 1/24 जाति राजपूत, देवीसिंह पुत्र भगा हि. 1/6 जाति राजपूत अशोक कुमार पुत्र मनोहरलाल हि. 1/4 जाति राजपूत, शंकरसिंह पुत्र वनसिंह हि. 1/24 जाति राजपूत, शिवसिंह पुत्र वनसिंह हि. 1/24 जाति राजपूत, हंजा पत्नि वनसिंह हि. 1/24 जाति राजपूत के नाम दर्ज है, जबकि आवेदक की प्रार्थना पत्र में जाति ब्राहमण दर्ज है।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस पर मनन के आधार पर संलग्न जमाबंदी 2072–75 के खाता संख्या 177 में भी अशोक कुमार पुत्र मनोहरलाल, जाति ब्राहमण दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी खाता संख्या 177 में प्रार्थी की जाति राजपूत दर्ज हो गयी है एव क्रम संख्या 5 पर दुबारा नाम रावल पुत्र मनोहरलाल, जाति राजपूत दर्ज हो गयी है। अतः संलग्न पुराने रिकॉर्ड अनुसार खसरा 1037 में प्रार्थी का नाम अशोक कुमार रावल पुत्र मनोहरलाल जाति ब्राहमण 1/2 दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है एवं उसी अनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.11.12 12:07:23 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी)
आबूपर्वत